बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र08-गो0आ0 खगड़िया-05/11 /खाद्य/पटना,दिनांक

<u>आदेश</u>

खाद्य एवं उपभोकता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्राणाधीन कार्यरत श्री अजय कुमार शर्मा, प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, अलौली, खगड़िया के विरूद्ध विभागीय जाँच में पाए गए आरोपो की पुष्टि के उपरान्त पंचायतों में उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेने, मापदण्ड के अनुरूप निरीक्षण नहीं करने एवं भुगतानशुदा कूपनों को जमा करने में विहित प्रपत्र का उपयोग नही करने के लिए ज्ञांपाक 4930 दिनांक 06.08.2012 द्वारा निलंबित करते हुए ज्ञापांक-7660 दिनांक 07.12.2012 द्वारा विभागीय कार्यावाही संचालित किया गया । संचालन पदाधिकारी के अधिगम में सरकारी मापदण्ड के अनुरूप निरीक्षण नही करने एवं विहित प्रपत्र में कूपन प्रतिवेदन नही देने के आरोप प्रमाणित होने के कारण एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने के दण्ड के साथ आरोप प्रकरण को समाप्त करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है ।

2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा तथा यह अवधि पेंशन प्रदायी होगी ।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्रांक-प्र08-गो0आ0 खगड़िया-05/11 731 /खाद्य/पटना,दिनांक 6/12/2013

प्रतिलिपिः-जिला पदाधिकारी, खगड़िया/बेगूसराय/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, खगडिया/बेगुसराय/प्रशाखा पदाधिकारी-03/ श्री अफजल <u>आजमी, आई0 टी0 प्रबंधक को</u> वेबसाईट पर डालने हेतु तथा श्री अजय कुमार शर्मा,प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी (निलंबित) अलौली, खगड़िया (निलबंन अवधि में जिला आपूर्त्ति बेगूसराय में मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/12/2013

सरकार के संयुक्त सचिव ।

d/all